>

Title: Need to develop basic infrastructure facilities in National Capital Region particularly in Western Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं अपने मेरठ-हापुड़ संसदीय क्षेत्र की बात करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह संपूर्ण क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की बात थी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माणों की बात थी, रैपिड रेलवे ट्रांजिट की बात थी, परंतु क्या हुआ ? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के गठन को 27 वर्ष हो रहे हैं परंतु अभी हाईस्पीड ट्रेन की बातें प्रारंभिक अवस्था में है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। अध्यक्ष जी, दिल्ली में नित्य आवागमन करने वालों का 40 प्रतिशत केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे का बुरा हाल है। मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों से बात की तो वे बताते हैं कि क्षेत्र के लिए बनायी गयी योजनाओं को राज्य सरकार का समर्थन व प्रोत्साहन नहीं है। बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण मेरठ-हापुड़ की औद्योगिक प्रगति ठप्प है। दो तिहाई इकाइयाँ बंद हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ-हापुड़ सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार लें तथा इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करें।